अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 38/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

रतन लाल पुत्र स्व॰ श्री दूलीचन्द वर्मा जाति धोबी निवासी मकान नम्बर 8/सी/29 प्रताप नगर, टौक फाटक, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

दीपक वर्मा पुत्र श्री रतन लाल वर्मा जाति धोबी, निवासी मकान नम्बर 8/सी/29 प्रताप नगर, टौक फाटक, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 05.12.2022. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 54/2021 ब उनवानी रतन लाल बनाम दीपक व अन्य

उपस्थितः–
1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 17.03.2025**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 54/2021 ब उनवानी रतन लाल बनाम दीपक व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2022. से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 5 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी के स्वामित्व के मकान नम्बर 8/सी/29 प्रताप नगर टौंक फाटक जयपुर से प्रत्यर्थी को बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा गया था, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.12.2022 को प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर 3500/–रूपया प्रति माह दिये जाने का आदेश पारित कर दिया, परन्तु अपीलार्थी के स्व अर्जित आय से कय किये गये मकान नम्बर 8/सी/29/प्रताप नगर टोंक फाटक जयपुर से प्रत्यर्थी को बेदखली के आदेश पारित नहीं किये गये। प्रत्यर्थी, अपीलार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अत्याचार, अपमान जनक व्यवहार, लडाई झगडा एवं अश्लील व अभद्र व्यवहार करने गया । प्रत्यर्थी अपनी पत्नी के द्वारा अपीलार्थी को झूंठे केसो में फंसाने की धमकी देने पर पीलार्थी ने अपने जीवन रक्षार्थ व भरण पोषण हेतु विधिवत परिवाद अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश किया गया था । अधीनस्थ अधिकरण ने प्रस्तुत अभिवचनों का विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कतई विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश में संशोधन किया जाकर सम्पूर्ण परिसर जो प्रत्यर्थी के कब्जे में है, को खाली करवाया जाकर अपीलार्थी को परिसर का कब्जा दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे। साथ ही अपीलार्थी को प्रत्यर्थी से 10,000/–रूपये प्रति माह भरण पोषण राशि दिलाई जाने के आदेश फरमावें।

प्रत्यर्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अधीनियम में पुत्र द्वारा अपील पेश करने का अधिकार नहीं होने से अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पीटिशन नम्बर 1423/2023 दायर की गई है। जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हो चुके है। माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से अपीलीय अधिकरण द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही है। इस आशय का लिखित में प्रार्थना पत्र धारा 10 सी पी के तहत कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसका अपीलार्थी की ओर से आज दिनांक तक कोई जबाब पेश नहीं किया गया । अतः अपील खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 05.12.2022 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 के तहत माता पिता व वरिष्ठ नागरिक को ही अपील किये जाने का अधिकार दिया गया है। पुत्र को अपील किये जाने का अधिकार नहीं होने से पुत्र द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस बी सिविल रिट पीटिशनन नम्बर 1423/2023 पेश की गई है जो वर्तमान में लम्बित है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 10 सी पी सी के प्रार्थना पत्र का आज दिनांक तक अपीलार्थी द्वारा कोई जबाब पेश नहीं किया गया है। अपीलान्ट के अधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उपस्थित हो चुके है। मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में इस अधिकरण द्वारा किसी प्रकार का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय मय सिमल मातहत प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. आदेश आज दिनाक 17.03.2025 को सरे इजालास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner